Tech /Sr.Tech से संबंधित अति महत्वपूर्ण विवेचना जिसमें MACP नियमों के तहत वित्तीय उन्नयन (Financial Upgradations)तथा प्रोन्नति (Promotion) से संबद्ध महत्वपूर्ण तथ्यों पर यह आलेख प्रस्तुत है : ----

जैसा कि हम AIR और दूरदर्शन में अवगत हैं,जहाँ प्रोन्नति में अनिश्चित कालीन ठहराव के कारण, इंजीनियरिंग विभाग के अधिकांश अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपनी पहली पदोन्नति प्राप्त करने से पहले ही ,पहली और दूसरी MACP प्राप्त की हैं।
उदाहरण के लिए अधिकांश तकनीशियनों और इंजीनियरिंग सहायकों को पहली और दूसरी MACP और शेष तकनीशियनों और इंजीनियरिंग सहायकों ने 20 साल की सेवा पूरी करने या 20 वर्ष की सेवाकाल के लगभग समीप हैं ,वे सब भी अपनी दूसरी MACP प्राप्ति के योग्य हैं अपने 20 वर्ष के सेवाकाल के पूर्ण होने की तिथि से ।

इस संबंध में कृपया निम्नलिखित बातों पर विचार करें :-

1)। यह एक तथ्य है कि जब तक Sr.Tech,Tech,Dtech,Mast Tech का मर्जर कर एक नया कैडर तथा उसके नए भर्ती नियम को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाता ,तब तक Sr.tech कैडर में सभी रिक्तियां मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार टेक कैडर से भरी जानी हैं। यह हम सभी को समझना होगा कि कुछ नकारात्मक तत्व तकनीशियनों (जो पहले से ही पहले और दूसरे एमएसीपी प्राप्त कर चुके हैं) के बीच घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि " जो भी Sr.Tech कैडर में पदोन्नति लेंगे वो पदोन्नति उनके भविष्य के एमएसीपी को प्रभावित करेगी।"
यह एक मिथ्या प्रचार मात्र है ,जो DOPT द्वारा जारी MACP दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी तरह से निराधार है और समय-समय पर डीओपीटी द्वारा इस संदर्भ में कई CLARIFICATIONS with Examples/Illustrations जारी किए गए हैं।

2)अब यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एक तथाकथित समूह/संध ने 2018 में ईए से एसईए पदोन्नति का विरोध यह तर्क देते हुए किया था कि ईए से एसईए में पदोन्नति उनके MACP को प्रभावित करेगी और अदालत के पास जाकर पदोन्नति को रोक लगवाया। बाद में उनके स्वयं के नेताओं और सदस्यों ने एसईए पदोन्नति को स्वीकार कर लिया, जब पदोन्नति के आदेश केवल 2019 में उत्तर क्षेत्र में जारी किए गए। 2018 में ईए से एसएए पदोन्नति के खिलाफ अदालत से संपर्क करके उन्होंने 2018 में सभी क्षेत्रों के अभियांत्रिकी सहायकों की पदोन्नति की संभावना को अवरुद्ध कर दिया और पदोन्नति के अवसरों को अवरुद्ध कर दिया जिसका दुस्प्रभाव हेल्पर तक के कैडरों पर भी अपरोक्ष रूप से पड़ा।

3)। अब वही लोग फिर से यह दुस्प्रचारित करके टेक्नीशियनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि तकनीशियन बंधु जो पहली या दूसरी MACP पा चुके हैं वो यदि अगले MACP अथवा प्रोमोशन की मांग करेंगे तो उनकी अर्जित MACP भी आगे बुरी तरह से प्रभावित होंगे।

4)। DoPT दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक तथ्य यह है कि एक तकनीशियन (जिसने पहले से ही पहले MACP / 10 वर्ष पूरा कर लिया है) को यदि Sr.Tech में पदोन्नत किया जाता है तो वह प्रोन्नति उस तकनीशियन की दूसरी MACP को प्रभावित नहीं करेगा, जो वह 20 साल की सेवा के बाद पात्र है।

5)। इसी तरह एक तकनीशियन (जो पहले से ही दूसरे एमएसीपी / 20 वर्ष पूरा कर चुका है)की पदोन्नति यदि Sr.Tech और EA कैडर मे भी होती है तब भी उन तकनीशियन बंधु को 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद मिलने वाले तीसरे MACP के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा। DoPT द्वारा जारी 22.10.2019 के नवीनतम DoPT स्पष्टीकरण में उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है।

6)। तकनीशियनों को क्रमशः 10 और 20 साल पूरे होने के बाद Rs.4600 / - GP और Rs.4800 / - GP प्रथम और द्वितीय MACP के रूप में दिए गए हैं। दूसरे शब्दों में, जिन लोगों को दूसरा एमएसीपी मिला है, वे पहले ही दो उन्नयन दे चुके हैं जो दो पदोन्नति के बदले में है। और चूंकि MACP के तहत अपग्रेडेशन को ग्रेड पे पदानुक्रम में अनुमति दी जाती है, दूसरे MACP के बाद, तकनीशियनों को Rs.4800 / - का GP दिया जाता है, जो कि EA पोस्ट के GP से ऊपर है, इसलिए नवीनतम DOPT स्पष्टीकरण के अनुसार 4. (i) के अनुसार दिनांक २२.१०.२०१ ९ जो नीचे प्रस्तुत किया गया है, उन्हें वास्तविक पदोन्नति के समय कोई निर्धारण नहीं होगा और इसलिए बिना किसी वेतन निर्धारण के ऐसे पदोन्नति को एमएसीपी(MACP) के लिए नहीं गिना जाएगा।
"" 4। (i) नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण के लाभ को योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय भी अनुमति दी जाएगी [जैसा कि सीसीएस (संशोधित वेतन नियम), 2016 के पैरा 13 में निर्धारित है। (ii) हालांकि, नियमित पदोन्नति के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, यदि यह उसी वेतन स्तर में है जैसा कि एमएसीपीएस के तहत दिया गया है। (iii) हालाँकि, वास्तविक पदोन्नति के समय यदि ऐसा होता है कि MACPS के तहत उपलब्ध वेतन से अधिक वेतन स्तर वाले पद पर होता है, तो उसे उस स्तर पर रखा जाएगा जिस स्तर पर उसे पदोन्नत स्तर पर एक सेल में पदोन्नत किया जाता है। MACP के कारण उसके द्वारा तैयार किए गए आंकड़े के बराबर। यदि कोई ऐसी सेल उपलब्ध नहीं है जिसके स्तर को बढ़ावा दिया गया है, तो उसे उस स्तर के अगले उच्च सेल में रखा जाएगा। कर्मचारी के पास प्रमोशन की तारीख या w.e.f पर यह निर्धारण प्राप्त करने का विकल्प हो सकता है। उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विकल्प के अनुसार अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात Next Increment Date।
""

7)। तकनीशियनों को पहले एमएसीपी के समय पे फिक्सेशन (अगली जीपी और एक वेतन वृद्धि) का लाभ दिया जाता है और यदि टेक्नीशियन को सीनियर कैडर में पदोन्नत किया जाता है तो कोई और पे फिक्सेशन नहीं होगा। इसी तरह से तकनीशियनों को दूसरे एमएसीपी के समय पे फिक्सेशन (जीपी 4800 / - जीपी और एक वेतन वृद्धि) का लाभ दिया जाता है, यदि टेक्नीशियन को Sr.Tech और EA कैडर में पदोन्नत किया जाता है तो आगे कोई पे फिक्सेशन नहीं होगा।
चूंकि सीनियर टेक और ईए कैडर में पदोन्नति के दौरान किसी भी वेतन निर्धारण का कोई लाभ नहीं है, इसलिए इन पदोन्नति को MACP के लिए नहीं गिना जाएगा और इसलिए वे तीसरे एमएसीपी (जीपी 5400 / - जीपी) के लिए पात्र होंगे अपनी 30 वर्षों की सेवा के उपरांत।
कृपया DoPT द्वारा जारी किए गए 22.10.2019 के DoPT समेकित दिशानिर्देशों के पैरा 27 से नीचे का चित्रण देखें (Enclosed herewith).

8)। तकनीशियनों को Rs.5000-150-8000 का वेतनमान देने वाले DG AIR आदेश के बाद 01.01.1996 से, तकनीशियन 25.02.1999 वेतनमान के दायरे से बाहर हैं और अब प्रसार भारती ने MIB को सूचित किया है कि महानिदेशक AIR के आदेश से तकनीशियनों और सीनियर तकनीशियनों को

उच्चतर वेतनमान सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में दिया गया है और "दर असल तकनीशियन बंधुओं को दिया गया Rs.5000_8000 का वेतनमान पूर्णरूपेण UPGRADED SCALE नहीं है" और यह विचार स्वयं प्रसार भारती ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समक्ष अपने पत्र व्यवहार में गंभीर रूप से अंकित किया है। (प्रति संलग्न)

9)। प्रसार भारती द्वारा लिया गया उपरोक्त रुख उन तकनीशियनों के लिए दूसरा और तीसरा एमएसीपी देने के लिए सकारात्मक है, जिन्होंने क्रमशः 20 और 30 वर्ष पूरे किए हैं। लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि DoPT MACPs पर अंतिम निर्णय लेने के लिए नोडल प्राधिकरण है। इसलिए हमें इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने तक बहुत सतर्क रहना चाहिए। चूंकि पूरे पैमाने पर तकनीशियन के कैडर को Rs. 5000 Scale दिए गए हैं, इसलिए हम DoPT से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद कर सकते हैं।
यदि दुर्भाग्यपूर्ण रूप में DoPT इस मामले में अपना एक नकारात्मक निर्णय देगी तो वैसी परिस्थिति में शेष विकल्प कोर्ट ऑफ लॉ के पास पहुंचता है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमें DoPT से न्याय नहीं मिल रहा है तो हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा। चूंकि विभाग के अधिकांश केन्द्रीय कर्मचारियों को 10 साल से कम सेवाकाल बचा है, तो हम बेकार नहीं बैठ सकते हैं, और हमें अपने वैध अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए हमें अब खुद ही MACP की मांग को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

10) यह देखा जा रहा है कि विभाग में कुछ नकारात्मक तत्व तकनीशियनों के बीच घबराहट पैदा करके, तकनीशियनों के MACP की मांग का विरोध कर रहे हैं कि MACP टेक कैडरों के विलय को बुरी तरह प्रभावित करेगा। उनका तर्क है कि "यदि अधिकतम तकनीशियन MACP की मांग कर रहे हैं, तो DOPT विलय के लिए सहमत नहीं होगा और उसी Grade.Pay के साथ तकनीशियन के अगले पद के रूप में सीनियर टेक पद बनाने की कोशिश कर सकता है और सीनियर टेक में पदोन्नति पर 3% वेतन वृद्धि प्रदान करेगा। "
लेकिन वे इस तथ्य की उपेक्षा कर रहे हैं कि अब केंद्रीय कर्मचारी की अहर्ता प्राप्त सभी तकनीशियनों ने पहले ही न्यूनतम 10 साल पूरे कर लिए हैं, तकनीशियन कैडर ने जीपी 4600 / - के रूप में प्रथम MACP प्राप्त की है , जो कि सीनियर कैडर (SR.TECH)के लिए पहले पदोन्नति के बदले में है। अतः उन तकनीशियन बंधुओं के Sr. Tech में वास्तविक पदोन्नति के समय बस कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और इसलिए Sr. Tech की यह पदोन्नति (जो या तो पहले MACP जारी करने के बाद हो रही है या Tech Cadre में 10 साल बिना प्रोमोशन के पूरे होने के लिए) MACP के रूप में नहीं गिना जाएगा।

11) .अतः विभाग यदि तकनीशियनों को MACP से इंकार नहीं कर सकता है यदि वे Sr. Tech को एक ही GP के साथ अलग कैडर के रूप में बनाने के विकल्प का उपयोग करते हैं। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि MACP की मांग के खिलाफ नकारात्मक तत्वों द्वारा उठाए गए विचार बिना किसी योग्यता के हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही तकनीशियन MACP की मांग नहीं कर रहे हैं अपितु विभाग इस बारे में जागरूक है तथा उन नकारात्मक तत्वों के उपरोक्त दुर्भाग्यपूर्ण विकल्प का उपयोग कर सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोशल मीडिया और You Yube में उस विकल्प को उजागर करने वाले वीडियो को प्रसारित करके Sr. Tech को एक अलग कैडर के रूप में रखने के विकल्प को नकारात्मक तत्व व्यापक प्रचार दे रहे हैं।

इसलिए सभी की यही आशा और प्रयास है कि हमारे मंत्रालय से ही Rs. 4200 / - में ही टेक संवर्गों के विलय के लिए व्यय विभाग(DOE) और डीओपीटी(DOPT) को सकारात्मक प्रस्ताव भेजने के लिए व्यापक प्रयास किया जाए । और कृपया ध्यान दें कि MACP की मांग टेक कैडर के विलय की मांग को कदापि प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन नकारात्मक तत्वों द्वारा " एक ही GRADE PAY के साथ तकनीशियन के प्रोन्नति पद के रूप में सीनियर टेक पद के विकल्प को व्यापक प्रचार देना और सीनियर टेक को पदोन्नति पर मात्र 3% वेतन वृद्धि प्रदान करने जैसे दुस्प्रचार का विरोध करना अनिवार्य है, क्योंकि वह विकल्प सभी किए कराये पर पानी फेर देगा। उस विकल्प के समर्थन के बारे में वीडीयो अपलोड / दुस्प्रचार करने से टेक (Technician)कैडर को मदद नहीं मिल रही है, और ऐसे प्रयास करने वालों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने कर्मचारी विरोधी गतिविधियों को रोक दें क्योंकि उनकी ऐसी गैरजिम्मेदाराना गतिविधियों से हमारे विभागीय
प्रशासन को बैठे बिठाये एक कुविचार को स्थापित करने का बहाना मिल सकता है जो भविष्य में अत्यंत नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है ।अतः अपनी निजी और कुत्सित राजनीति के मोहपाश में तकनीशियन कैडर के हितों का सत्यानाश करने का प्रयास करनेवाले उन नकारात्मक तत्वों/संघ का खुल कर विरोध करना होगा ,तभी तकनीशियन कैडर के कालान्तर मे किए गए अथक प्रयासों से अर्जित हितों को अक्षुण्ण रखने में हमें सफलता प्राप्त होगी । आपका अपना संघ "आरती" इसके लिए आरम्भ से कृतसंकल्प है और सदैव रहेगा । बस आपसभी बंधुओं का सहयोग और विश्वास अपेक्षित है ।

आरती सर्वोपरि 👌👌

आरती जिन्दाबाद ✌ □ ✌ □

(यह विवेचना केवल कर्मचारियों के बीच आंतरिक संचार के लिए है। कृपया इस पर आत्मविवेचना कर स्वयं निर्णय लें)